भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/60/2021/एफ0 सी0/1413 दिनांक: 12/01/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम लालकुआं के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/OTHERS/21599/2016)

सन्दर्भ:–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1512/FP/UK/ OTHERS/21599/2016 दिनांक 22-12-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22/04/2021 का उत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :–

1. बिन्दु संख्या 01, 02 एवं 03 को संज्ञान मे लेते हुये यह ज्ञात होता है कि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु लिया गया क्षेत्रफल (area), वन भूमि के प्रत्यावर्तन की प्राथमिक शर्त जिसके अनुसार 'minimum area requirement' हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना चाहिये की पूर्ती नहीं करता है। सभी प्रस्तावित components हेतु चाहा गया क्षेत्र अत्यधिक जान पड़ता है इसके अतिरिक्त 30-40% क्षेत्र प्रत्येक components के साथ अतिरिक्त लिया गया है तथा कुल क्षेत्रफल में पुनः 10% भी अतिरिक्त लिया गया है जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है।
2. मिनी स्टेडियम हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत standard design प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में (प्रस्ताव क0 FP/UK/OTHERS/50039/2020) sports stadium हेतु 1.5 हे0 क्षेत्र का अनुमोदन किया गया है। अतः प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र 4.9962 हे0 दर्शाया गया है जो अत्यधिक है।
3. साथ ही, समीप ही एक अन्य खेल मैदान उपस्थित है। अतः एक नये क्षेत्र में 365 वृक्षों के पातन उपरान्त एक अतिरिक्त स्टेडियम का निर्माण मान्य नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व स्थित खेल मैदान पर ही standard design के अनुसार खेल स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

4. बिन्दु संख्या 8 के सापेक्ष उपयुक्ता प्रमाणपत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि CA क्षेत्र का निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया गया है अथवा नहीं। कृपया प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त यह पुष्टि करें कि प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों की गणना पत्रक भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

12/1/22

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)